

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 107/2025

दायर दिनांक 28.03.2025

वादीगण

प्रतिवादीगण

1. हमीदा बानों पत्नी इन्साफ अली
2. सलीम खां पुत्र सुल्तान अली जातिगण धोबी निवासीगण तोषीणा तहसील छोटी खाटु जिला डीडवाना-कुचामन राज.

1. कालूराम पुत्र रामेश्वर
2. सीताराम पुत्र रामेश्वर
3. पन्नाराम पुत्र दीनाराम
4. बिदामी देवी पुत्री दीनाराम समस्त जाति गिंवार निवासीगण तोषीणा तहसील छोटी खाटु जिला डीडवाना-कुचामन
5. धन्राज पुत्र मेहराम जाति रेगर निवासी हरिजनों का मोहल्ला, बालवास तहसील परबतसर हाल बिदयात तहसील मकराना
6. इकबाल अली पुत्र मुस्ताक अली
7. साजिद अली पुत्र मुस्ताक अली
8. साहिदा पुत्री मुस्ताक अली
9. रुबिना बानों पुत्री मुस्ताक अली
10. हिना बानों पुत्री मुस्ताक अली
11. बानों बेगम पत्नी मुस्ताक अली निवासीगण तोषीणा तहसील छोटी खाटु जिला डीडवाना-कुचामन
12. आई.सी.आई.सी.आई बैंक शाखा डीडवाना
13. तहसीलदार, छोटी खाटु।

बनाम्

दावा बाबत

बंटवारा, रिकार्ड दुरुस्ती, घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा- 53,88,188 R.T.Act. , 136 L.R.Act

उपस्थित:-

1. श्री मो. शरीफ शेरानी वकील वादीगण।
2. श्री मो. युनुस सलीम वकील प्रतिवादीगण संख्या 1, 2, 7 ता 11
3. श्री अभिषेक सिंघाड़िया वकील प्रतिवादी संख्या 5

--: अंतिम निर्णय :-

दिनांक 11.08.2025

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि यह है कि राजस्व ग्राम तोषीणा के नये खेत खसरा संख्या 251 रकबा 2.8400 है. बारानी 1, खसरा संख्या 259 रकबा 1.7000 है. बारानी 1 भूमि में वादी व प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन प्रस्तावित करने बाबत दिनांक 30.06.2025 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार छोटी खाटू को निर्देश दिया गया।

तहसीलदार छोटी खाटू ने अपने पत्रांक: भू.अ./2025/1346 दिनांक 04.08.2025

के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। तहसीलदार छोटी खाटू द्वारा प्रस्तावित बन्टवारा पर

WKS
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना



बहुत पक्षकारान् सुनी गयी जिसमें पक्षकारान बंटवारा प्रस्तावानुसार विभाजन करवाने हेतु सहमत हैं। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार छोटी खाटू सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार छोटी खाटू के द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: पत्रांक: भू.अ. /2025/1346 दिनांक 04.08.2025 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि :-

-:: आदेश ::-

राजस्व ग्राम तोषीणा के नये खेत खसरा संख्या 251 रकबा 2.8400 है. बारानी 1, खसरा संख्या 259 रकबा 1.7000 है. बारानी 1 भूमि में वादी व प्रतिवादीगण के मध्य घोषणा खातेदारी व बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार छोटी खाटू से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: भू.अ./2025/1346 दिनांक 04.08.2025 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता विभाजन करने के आदेश दिए जाते हैं।

तहसीलदार छोटी खाटू का विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: पत्रांक: भू.अ. /2025/1346 दिनांक 04.08.2025 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

ikas
 (विभाजन प्रस्ताव अधिकारी,
 सहायक सहायक
 डीडवाना)

निर्णय आज दिनांक 11.08.2025 को सरे इजलास में सुनाया गया।

ikas
 (विभाजन प्रस्ताव अधिकारी,
 सहायक सहायक
 डीडवाना)